



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231301
CG-DL-E-23112021-231301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 661]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा. का. नि. 820(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और संपरीक्षा) नियम, 2021 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "संपरीक्षा अधिकारी" से भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा से संशक्त उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ग) महापत्तन प्राधिकरण के संबंध में "लेखा बही" के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में रखे गए अभिलेख सम्मिलित हैं—

(i) महापत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त होने योग्य और व्यय की गई या व्यय होने योग्य सभी धनराशियां और उससे संबंधित ऐसे विषय, जिससे प्राप्तियां और व्यय किए गए हैं ;

(ii) महापत्तन प्राधिकरण द्वारा माल और सेवाओं के सभी विक्रय और क्रय ; और

(iii) महापत्तन प्राधिकरण की आस्तियां और दायित्व ;

(घ) "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. बजट को तैयार करना और प्रस्तुत करना—(1) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण की आय और व्यय का बजट प्राक्कलन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो समय-समय पर नियत किया जाए, इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उक्त महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे कर्मचारी द्वारा तैयार की जाएगी।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए बजट प्राक्कलन की एक प्रति बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी, जिससे उस प्राक्कलन पर विचार किया जा सके।

(3) बोर्ड, ऐसे परिवर्तन के साथ, जो वह उचित समझे, बजट प्राक्कलन पर विचार करेगा और उसकी मंजूरी देगा या किसी अन्य बैठक के लिए बजट प्राक्कलन पर विचार करने के लिए अस्थगित की जाएगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन महापत्तन प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया गया बजट प्राक्कलन महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो वित्तीय वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के बाद का न हो, जिससे बजट प्राक्कलन पर किया गया विचार संबंधित है।

(5) केंद्रीय सरकार बजट प्राक्कलन का पुनर्विलोकन करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, जो तीस दिनों के बाद का न हो, बोर्ड को सुझावों के साथ या उसके बिना वापस भेजेगी।

(6) उपनियम (5) के अधीन बजट प्राक्कलन की प्राप्ति पर बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा, यदि कोई हो और ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो वह ठीक समझे, बजट प्राक्कलन को अनुमोदित करेगा।

4. अनुपूरक बजट—बोर्ड, नियम 4 के अधीन पूर्व में अनुमोदित किए गए किसी बजट प्राक्कलन के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे वर्ष के अवशिष्ट अवधि के लिए एक या एक से अधिक अनुपूरक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और नियम 4 के उपबंध ऐसे प्राक्कलन के लिए ऐसे लागू होंगे, जैसे किसी मूल बजट प्राक्कलन में थे।

5. पुनर्विनियोग—(1) यदि उसके द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष या कोई व्यक्ति, वर्ष के दौरान यह पाता है कि किसी शीर्ष के अधीन मंजूर किए गए बजट प्राक्कलन (जिसके अंतर्गत कोई पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी सम्मिलित है) व्यय से अधिक होने वाला है या उक्त मंजूर की गई या पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन में सम्मिलित कोई राशि किसी अत्यावश्यक आपात के कारण अपेक्षित हैं, तो अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी अन्य शीर्ष के अधीन अधिसंभाव्य बचत के पता चलने पर बजट प्राक्कलन के प्रत्येक शीर्ष के अधीन किए गए आबंटन की परीक्षा करेगा और इसके प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष पुनर्विनियोग को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां ऐसा पुनर्विनियोग साध्य है, बोर्ड इस निमित्त जो उचित समझे, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए पुनर्विनियोग की मंजूरी दे सकेगा।

6. लेखाओं को रखना—बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य संबंधित पुस्तकें तैयार करेगा और रखेगा जो महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देता है और ऐसी पुस्तक ऐसी रीति में रखी जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. आंतरिक लेखापरीक्षक—(1) बोर्ड, एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा, जो महापत्तन के कृत्यों और कार्यकलापों से संबंधित लेखाओं, विवरणों और दस्तावेजों की आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया गया कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक” शब्दों से व्यवसाय में लगे हुए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंध लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य वृत्तिक अभिप्रेत है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए वृत्तिकों के पैनल से की जाएगी।

(3) बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई संपरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए परिधि, कृत्य, आवर्तिता और कार्य प्रणाली निश्चित करेगा।

(4) उपनियम (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आंतरिक लेखापरीक्षक महापत्तन प्राधिकरण के संव्यवहारों और मासिक लेखाओं की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट देगा और यह प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में ऐसे संव्यवहार और लेखा समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित लेखा नीतियों के अनुसार उचित रूप से किए गए हैं।

8. लेखाओं के वार्षिक विवरण को तैयार करना और प्रस्तुत करना—(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए ऐसे समय के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखाओं का कोई वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पश्चात् तैयार करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखाओं के वार्षिक विवरण में ऐसी सूचना और विशिष्टियां सम्मिलित होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखाओं का वार्षिक विवरण महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देगा और ऐसे लेखा मानकों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु केवल इन तथ्यों के कारण लेखाओं का वार्षिक विवरण महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र न प्रकट करने वाला नहीं समझा जाएगा कि ऐसे विषयों को प्रकट नहीं करते हैं जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रकट करने के लिए अपेक्षित न हो ।

(4) उपनियम (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां महापत्तन प्राधिकरण के वार्षिक विवरण उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसा महापत्तन प्राधिकरण ऐसे विचलन से उद्भूत लेखा मानकों से विचलन, ऐसे विचलन का कारण और वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रकट करेगा ।

(5) लेखाओं का वार्षिक विवरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष (उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा) और महापत्तन में वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन स्वीकृत और हस्ताक्षरित लेखाओं का वार्षिक विवरण को महापत्तन प्राधिकरण की सामान्य मुहर द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा और ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह से नियत किया जाए, प्रत्येक वर्ष महापत्तन द्वारा संपरीक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा ।

(7) संपरीक्षा अधिकारी महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं के वार्षिक विवरण की रिपोर्ट देगा और संपरीक्षा करेगा तथा यह प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे, जिसमें सभी विशिष्टियां सम्मिलित हैं, और महापत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रदर्शित करते हैं और महापत्तन प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करने की दशा में क्या उसे दी गई है और वह संतोषजनक हैं ।

(8) संपरीक्षा अधिकारी महापत्तन प्राधिकरण के लेखाओं के वार्षिक विवरण की संपरीक्षा पूर्ण करेगा और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसे समय के भीतर ऐसे महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियत किया जाए ।

(9) संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संपरीक्षा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित लेखाओं का वार्षिक विवरण बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर जो आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए लेखाओं से संबंधित है, वार्षिक रूप से भेजा जाएगा :

परंतु यदि संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किए गए समय के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है तो लेखाओं का वार्षिक विवरण संपरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बिना केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

9. संपरीक्षा फीस और वास्तविक व्यय का संदाय—बोर्ड, ऐसी तारीख से, जो उनके द्वारा कोई मांग की गई है, तीन मास के भीतर उसके लेखाओं के वार्षिक विवरण से संबंधित विवरण उनमें से प्रत्येक द्वारा उपगत संपरीक्षा फीस और वास्तविक व्यय आंतरिक संपरीक्षक और संपरीक्षा अधिकारी को संदत्त करेगा ।

10. लेखाओं का अनौचित्य या अनियमितता—(1) यथास्थिति, आंतरिक संपरीक्षक या संपरीक्षा अधिकारी बोर्ड को निम्नलिखित से संबंधित यदि आवश्यक हो, एक पृथक् विवरण प्रस्तुत करेगा—

(क) कोई तात्त्विक अनौचित्यता, अनियमितता या त्रुटियां, जो वह महापत्तन प्राधिकरण के व्यय या बकाए रकम की वसूली में या लेखाओं में देख सकेगा ; या

(ख) महापत्तन द्वारा स्वामित्वाधीन या उसमें निहित कोई धन या अन्य संपत्ति का दुर्व्यय, जो उपेक्षा या अवचार द्वारा कारित की गई है, जो ऐसे व्यक्ति के नाम से, जो उसकी राय में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी हानि या दुर्व्यय के लिए दायी है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरण की प्राप्ति पर बोर्ड ऐसी किसी त्रुटि या अनियमितता पर तुरंत विचार करेगा जो आंतरिक संपरीक्षक या संपरीक्षा अधिकारी की अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट में ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के बारे में बताया जाएगा और उस पर ऐसी कार्रवाई करेगा, जो बोर्ड उचित समझे :

परंतु यदि संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किसी प्रश्न पर बोर्ड और संपरीक्षा अधिकारी के बीच राय में कोई मतभेद है और बोर्ड सुझावों को लागू करने में या उसे स्वीकार करने में, यदि कोई हो, अक्षम है, तो ऐसे प्रश्न पर संपरीक्षा अधिकारी द्वारा वह विषय केंद्रीय सरकार को तुरंत निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उस पर अंतिम आदेश पारित करेगी और बोर्ड ऐसे आदेशों को प्रभावी करने के लिए बाध्य होगा ।

[फा.सं. पीडी-24015/21/2021-पीडी-1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 22nd November, 2021

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 read with sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) “Audit Officer” means the Comptroller and Auditor General of India and includes any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Major Port Authority;

(c) “books of account” in relation to a Major Port Authority, includes the records maintained in respect of—

(i) all sums of money received or receivable and expended or expendable by the Major Port Authority and matters in relation to which the receipts and expenditure takes place;

(ii) all sales and purchases of goods and services by the Major Port Authority; and

(iii) the assets and liabilities of the Major Port Authority;

(d) “financial year” means the year commencing on the first day of April;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Preparation and submission of budget.— (1) The budget estimate of income and expenditure of each Major Port Authority for the next financial year shall be prepared by the Chairperson or such employee of the said Major Port Authority as may be authorised by him in this behalf, in such manner as the Central Government may, from time to time, specify.

2) A copy of the budget estimate so prepared shall be sent to each Member of the Board at least seven days before the meeting of the Board at which such estimate is to be considered.

(3) The Board shall consider and sanction the budget estimate with such changes as it thinks fit at the meeting fixed for the purpose or at any other meeting to which the consideration of the budget estimate is adjourned.

(4) The budget estimate sanctioned by the Major Port Authority under sub-rule (3) shall be forwarded by the Board of that Major Port Authority to the Central Government not later than 31st day of December of the financial year preceding the financial year to which the consideration of the budget estimate relate.

(5) The Central Government shall review the budget estimate and shall return it with or without suggestions to the Board not later than thirty days prior to the commencement of the financial year.

(6) Upon receipt of the budget estimate under sub-rule (5), the Board shall consider the suggestions, if any, made by the Central Government thereon and shall approve the budget estimate with such changes as it may think fit.

4. Supplementary Budget.— The Board may, in the course of any financial year for which a budget estimate has already been approved under rule (4), prepare one or more supplementary budget estimates for the residual period of such year and the provisions of rule (4) shall, so far as may be, apply to such estimate as if it were an original budget estimate.

5. Re-appropriation.— (1) If the Chairperson or any person authorised by him finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate (including any revised budget estimate) under any head, or any sum included in the said sanctioned or revised budget estimate is required for any pressing emergency, the Chairperson or any person authorised by him shall examine the allocation under each head of budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head and submit its proposal to the Board to effect the re-appropriation.

(2) Where such re-appropriation is feasible, the Board may sanction the re-appropriation subject to such conditions as it may deem appropriate in that behalf.

6. Maintenance of accounts.— The Board shall prepare and keep books of account and other relevant books and papers for every financial year which gives a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority and such books shall be kept in such manner as may be specified by the Central Government.

7. Internal Auditor.— (1) The Board may appoint an internal auditor, who shall either be a chartered accountant or cost and management accountant or such other professional as may be decided by the Board to conduct internal audit of the accounts, statements and documents concerning the functions and activities of the Major Port.

Explanation - For the purposes of this sub-rule, the term “chartered accountant or cost and management accountant or such other professional” shall mean a chartered accountant or cost and management accountant or such other professional, engaged in practice.

(2) The appointment of an internal auditor under sub-rule (1) shall be done by the Board from the panel of professionals maintained by the Comptroller and Auditor General of India or the Reserve Bank of India.

(3) The Board or any audit committee appointed by the Board shall formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit.

(4) Without prejudice to sub-rule (3), the internal auditor shall examine and report on the transactions and monthly accounts of the Major Port Authority and certify whether in his opinion such transactions and accounts are properly drawn up in accordance with the accounting policies as approved by the Board from time to time.

8. Preparation and submission of annual statement of accounts.— (1) The Board shall, within such time as may be fixed by the Central Government, prepare after the commencement of each financial year an annual statement of accounts for the previous financial year.

(2) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall include such information and particulars as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall give a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority and comply with such accounting standards as specified by the Institute of Chartered Accountants of India from time to time:

Provided that the annual statement of accounts shall not be treated as not disclosing a true and fair view of the state of affairs of the Major Port Authority, merely by reason of the fact that they do not disclose any matters which are not required to be disclosed by any law for the time being in force.

(4) Without prejudice to sub-rule (3), where the annual statement of accounts of the Major Port Authority do not comply with the accounting standards referred to in sub-rule(3), such Major Port Authority shall disclose in its annual statement of accounts, the deviation from the accounting standards, the reasons for such deviation and the financial effects, if any, arising out of such deviation.

(5) The annual statement of accounts shall be approved by the Board and signed on behalf of the Board by the Chairperson (or in his absence, by the Deputy Chairperson) and the Head of Finance department in the Major Port.

(6) The annual statement of accounts adopted and signed under sub-rule (5) shall be authenticated by affixing the common seal of the Major Port Authority and shall be submitted by the Major Port to the Audit Officer each year within such time as may be fixed in this behalf by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(7) The Audit Officer shall audit and report on the annual statement of accounts of the Major Port Authority and certify whether in his opinion the balance sheet and profit and loss account contain all particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and fair state of affairs of the Major Port Authority and in case he has called for any information from the Major Port Authority or any of its officers, whether it has been given and whether it is satisfactory.

(8) The Audit Officer shall complete the audit of the annual statement of accounts of the Major Port Authority and submit the audit report to the Board of such Major Port Authority within such time as may be fixed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(9) The annual statement of accounts as certified by the Audit Officer, together with the report of the Audit Officer shall be forwarded annually to the Central Government by the Board within such time following the close of the financial year to which the accounts relate as may be fixed by the Central Government:

Provided that if the report of the Audit Officer is not received by the Board within such time as may be fixed in this behalf by the Central Government, the annual statement of accounts shall be submitted to the Central Government without the report of the Audit Officer.

9. Payment of audit fee and out of pocket expenses.— The Board shall pay to the internal auditor and the Audit Officer the audit fee and out of pocket expenses incurred by each of them in connection with the annual audit of its accounts, within three months from the date of which any demand is made by them.

10. Impropriety or irregularity in accounts.— (1) The internal auditor or the Audit Officer, as the case may be, shall submit a separate statement to the Board, if necessary, in regard to-

- (a) any material impropriety, irregularity or defects which he may observe in the expenditure, or in the recovery of moneys due to, or in the accounts of the Major Port Authority; or
- (b) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Major Port Authority which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(2) The Board upon receipt of statement under sub-rule (1) shall forthwith take into consideration any defects or irregularities that may be pointed out by the internal auditor or the Audit Officer in its audit report and shall take such action thereon as the Board may think fit:

Provided that if there is a difference of opinion between the Board and the Audit Officer on any point included in the audit report, and the Board is unable to accept or implement the recommendations, if any, made by the Audit Officer on such point, the matter shall forthwith be referred to the Central Government which shall pass final orders thereon and the Board shall be bound to give effect to such orders.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.